



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र. 193/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2022

दिनांक 02/2/22

प्रति,

कुलसचिव,
मंदसौर विश्वविद्यालय
मंदसौर (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021-22 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2021-22 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18.01.2022 एवं 21.01.2022 में की गयी अनुशंसाएं में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में शुल्क समीक्षा की गई, तदनुसार मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No.	Faculty Name	Course Name	Fee Proposed By University	Fee Reviewed By Committee
1	Faculty of Business Management	BBA	40000	40000
2		MBA (Finance / Marketing/ HR / Entrepreneurship)	75000	75000
3		Ph.D (BUSINESS)	65000	65000
4	Faculty of Journalism & Communication	BA (Journalism & Mass Communication)	50000	50000
5		BA(Fashion Design)	60000	60000
6		BA (Tourism and Hospitality)	53000	53000
7		Ph.D (Tourism and Hospitality)	65000	65000
8	School of Commerce & Economics	B.Com (Banking & Finance)	35000	35000
9	Faculty of Engineering & Technology	Diploma Civil	40000	40000
10		Diploma Electrical	40000	40000
11		Diploma Mech	40000	40000
12		B.Tech Civil	70000	70000
13		B.Tech CSE	70000	70000
14		B.Tech EEE	70000	70000
15		B.Tech MECH	70000	70000
16		Ph.D (ENGG)	85000	85000

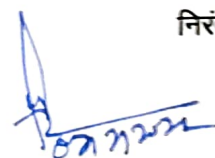
निरंतर-02

// 02 //
शैक्षणिक सत्र 2021-22 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

17	Faculty of Education	B.Ed	45000	45000
18		B.P.Ed	45000	45000
19		MA Education	35000	35000
20		Ph.D EDUCATION	65000	65000
21	Faculty of Pharmacy	D PHARMA	50000	50000
22		B PHARMA	80000	80000
23		M PHARMA (Pharmaceutics)	75000	75000
24		Ph.D PHARMA	85000	85000
25	Faculty of Agriculture	B.Sc Hons. (Agriculture)	60000	60000
26		M. Sc (Agriculture & Agronomy)	55000	55000
27	Faculty of Life Science	B.Sc (Biotech. Hons)	35000	35000
28		B.Sc (Microbiology Hons)	35000	35000
29		M.Sc (Microbiology)	36000	36000
30		M.Sc (Biotech)	36000	36000
31		Ph.D LIFE SCIENCES	75000	75000
32	Faculty of Computer Application	BCA	35000	35000
33		BCA(CC/SYSCS)	55000	55000
34		BSC (CS)	35000	35000
35		MCA	60000	60000
36		Ph.D COMPUTER APPLICATION	75000	75000
37	Faculty of Library Science	B.Lib	25000	25000
38		M.Lib	25000	25000
39		Ph.D LIB SC	65000	65000
40	Faculty of Ayurveda	BAMS	275000	245400
41		Ph.D AYURVEDA	85000	82900
42	Faculty of Nursing	B. Sc (Nursing)	70000	70000

नोट— उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

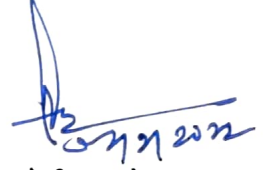
1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।



// 03 //

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

3. सत्र 2021-22 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये ।
 4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
 5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।
- (अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. के.पी. साहू)

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2022

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल